म संख्या–48

संख्या 1986/इक्कीस–82–3 (9)–82

प्रषक,

श्री राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष,
निगमों तथा परिषदों के अध्यक्ष
मण्डलों के आयुक्त, जिला मजिस्ट्रेट,
तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

लखनऊ : दिनांक 4 जून, 1982।

विषय—राजभाषा हिन्दी का प्रयोग।

महोदय,

भाषा अनुभाग–1

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सरकारी कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को कड़ाई से लागू करने के बारे में समय-समय पर आदेश जारी किये गये हैं परन्तु कहीं-कहीं अभी भी हिन्दी से सम्बन्धी आदशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया जाता है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे पुनः यह अनुरोध करना है कि शासन के आदशों क अनुसार प्रदेश क सभी कार्यालयों से, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा भारत सरकार के एसे कार्यालयों से, जो हिन्दी भाषी राज्यों में स्थित हों सदव हिन्दी में ही पत्र-व्यवहार किया जाय।

2—गुजरात, महाराष्ट्र तथा पंजाब राज्यों से, जिनसे उत्तर प्रदेश सरकार का हिन्दी में पत्र-व्यवहार करन का करारनामा हो चुका है, हिन्दी में पत्र-व्यवहार किया जाय।

3—अन्य अहिन्दी भाषी राज्यों को मूल पत्र हिन्दी में ही भेजे जायं और केवल उनका अंग्रेजी अनुवाद साथ में संलग्न कर दिया जाय।

4—ऐसे मामलों में जिनमें संविधान में उपबंधित व्यवस्था के अनुसार अंग्रेजी का प्रयोग किया जाना आवश्यक है, मूल कार्य हिन्दी में किया जाय और अंग्रजी का प्रयोग केवल अनुवाद के रूप में किया जाय।

आशा है कि आप द्वारा उपर्युक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करने का भरसक प्रयत्न किया जायगा।

भवदीय,
राजेन्द्र पाल खोसला,
मुख्य सचिव।